355
1.00 Pm

संख्याः 811 /XX-8/2017- 4(33)2008

प्रेषक

पूरन सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांकः– 28 जुलाई, 2017

विषयः–इण्डिया रिजर्व वाहिनी (आई.आर.बी.) प्रथम के आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, कृपया पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–दो–202/2003 (Phase-II) दिनांक 01.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इण्डिया रिजर्व वाहिनी प्रथम, बैलपडाव, रामनगर नैनीताल के आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम लिमिटेड इकाई रामनगर द्वारा गठित रूपये 1997.55 लाख के संशोधित पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1406/XX(1)/73/निर्माण/इ0रि0वाहिनी द्वितीय चरण/2008–09 दिनांक 30.12.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन का वित्त विभाग की टी.ए.सी. से तकनीकी परीक्षण कराये जाने के उपरान्त सिविल कार्यो हेतु रूपये 1868.15 लाख तथा अधिप्राप्ति के तहत रूपये 129.35 लाख इस प्रकार कुल रूपये 1997.50 लाख की औचित्यपूर्ण धनराशि पर व्यय वित्त समिति की संस्तुति के क्रम में उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत धनराशि के आगणन पर कार्यदायी संस्था को अद्यतन अवमुक्त कुल रूपये 1503.85 लाख को समायोजित करते पुनरीक्षित/व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत (बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न) आगणन के सापेक्ष अवशेष रूपये 493.65 लाख की धनराशि की 40 प्रतिशत धनराशि **रूपये 197.46 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तानव्वे लाख छियालीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

क्रमशः 2.....

3– राज्य योजना आयोग द्वारा किये गये पुनरीक्षित आगणन के परीक्षण जो कि प्रशासकीय विभाग के पत्र संख्या 210(II)/XX–8/16–04(33)2008 दिनांक 15 जुलाई 2016 का अवश्यमेव अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

4– सौर ऊर्जा के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि।

5– निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

6– कार्यदायी संस्था कार्य आरम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design का सक्षम स्तर से Vet कराया जायेगा साथ ही Reinforcement steel की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित किये जाये तथा बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जा।

7– Electrical Items जैसे switches wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे bath fittings, Geyser, water tank, pipes आदि Toilet items wood items आदि की market survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में ही कम से कम 3 निर्माता या उनके authorized distributor के Quotations प्राप्त कर Brand Name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेन्ट मदों की लागत रूपये 3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार की जाय।

8– आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मित्तव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समायोजन करेंगें जो अपरिहार्य मदें हैं, उदाहरणार्थ–वाटरप्रूफिंग की मदें अलग से आगणन में ली गयी हैं। यह सही है कि यह मद डी0एस0आर0 में है लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नही है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

9– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में वर्णित व्यवस्था/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि लागत एवं समयवृद्धि(Cost and time over run) से बचा जा सके। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर M.O.U. हस्ताक्षर कर लिया गया हो।

क्रमशः 3.....

10– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

11– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

12– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2017 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

15– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

16– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

17– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10, पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवास, 06–इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना के मानक मद 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः– 46/मतदेय/XXVII(5)/2017 दिनांक 20 जुलाई 2017 में प्राप्त उनकी सहमति तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्याः S1707100529 दिनांक 28 जुलाई, 2017 द्वारा जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(पूरन सिंह रावत)
अपर सचिव

क्रमशः 4....

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।

3– जिलाधिकारी, नैनीताल उत्तराखण्ड।

4– निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल, उत्तराखण्ड।

6– बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।

8– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, इकाई रामनगर नैनीताल।

9– वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन।

10– निजी सचिव, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

11– तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग को उनके पत्र संख्या 346/15–व्य0वि0स0/रा0यो0आ0/2016–17 दिनांक 20 मार्च 2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव